

19/6/2019

वादीगण मय वकील अनुपास्थित।

प्रतिवादीगण मय वकील अनुपास्थित। वादीगण

एवं वकील वादी को तीन बार, छार-बार

आवाज लगाई गई। बावजूद आवाज लगाने के


वादीगण मय वकील अनुपास्थित। अतः वाद

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RTACT

अदम हाजरी अदम पैशकी मे श्वारीज किया

जाता है, पत्रावली फेसल शूमार देखकर

नम्बर से कम थे, दारिखल दफ्तर थे।

  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) रानी